<u>खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।</u>

पत्रांक – डी॰डी॰ 787/न॰ नि॰

सेवा में,

श्री / श्रीमती गोपाल मंडल पिता–श्री गौराचन्द मंडल

2. श्री अविनाश विश्वकर्मा पिता–श्री अजीत कुमार विश्वकर्मा

1 आम मुख्तारनामा एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता–स्व॰ बिहारी लाल

शर्मा, धैया, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 9/10/13

विषय:– आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न॰ बी॰ डी॰ –97/13–14 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 2.5.13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या –4689, 17135 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 1212 II 91–92 जमाबंदी संख्या 965 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 12–13 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी॰ डी॰ केश न॰ 97/13–14 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेषक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेषानुसार सूचित करना है कि धैया–06 मौजा अन्तर्गत खाता न॰ 36, 152 प्लॉट न॰ 1342, 1343 रकबा 22½ डि॰ भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू॰ 70,000 जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 9/10/13

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

G.R.A.T. Asset Developers
(signature)
Partner

G.R.A.T. Asset Developers
(signature)
Partner

G.R.A.T. Asset Developers
(signature)
Partner